



भारत सरकार

परिणामी बजट

2013–14

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय—सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कार्यकारी सारांश	i-iii
2	अध्याय—I मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	1-7
3	अध्याय-II योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि	8-16
4	अध्याय-III नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय	17-21
5	अध्याय-IV पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा	22-30
6	अध्याय-V वित्तीय समीक्षा	31-44
7	अध्याय-VI मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	45-46

कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, जो वर्ष 2011–12 और 2012–13 (31.12.2012 तक) के वास्तविक निष्पादन तथा वर्ष 2013–14 के वास्तविक कार्य–निष्पादन के लक्ष्यों के साथ वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों को दर्शाता है। परिणामी बजट आकलनीय कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी धनराशि के आबंटन और संवितरण के मध्य प्रभावी कड़ी स्थापित करने हेतु नीतिगत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

2. परिणामी बजट 2013–14 में निम्नलिखित अध्यायों का उल्लेख है :

अध्याय I: इसमें मंत्रालय की संरचना, नीतिगत ढांचा, लक्ष्य, मुख्य कार्यों इसकी अनिवार्यता और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय है।

अध्याय II: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित परिणामों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित परिणामों के बीच तारतम्य स्थापित किया जा सके।

अध्याय III: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी रहन–सहन दशाओं में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधार–उपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशिष्ट संसाधनों का आवंटन कराने के लिए लैंगिक समुत्थान के बारे में मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय IV: इसमें वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक कार्य निष्पादन का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

अध्याय V: इसमें हाल ही के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र रूझानों की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति का भी उल्लेख है।

अध्याय VI: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

निगरानी तंत्रः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए विस्तृत बहु-स्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

- क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना का अपना निगरानी तंत्र है।
- ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्ट— जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।
- ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।
- घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही तथा सचिवों की समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है और तत्पश्चात मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती है।
- ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है।
- च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षित लेखे और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।
- छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु-क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट <http://www.minorityaffairs.gov.in> से जोड़ा गया है।

लोक सूचना प्रणाली:

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

- क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया है।
- ख) मंत्रालय की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।
- ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजना से संबंधित व्यौरों के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट : www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

लिंग आधारित पहलें:

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत वास्तवित लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना विशेषकर महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और उन्हें कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अध्याय—I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुददों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति नियोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं तथा एक राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय के कार्य में सचिव को वित्तीय सलाहकार सहित चार संयुक्त सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। तीन संयुक्त सचिव (क) नीति और प्रशासन, (ख) छात्रवृत्ति, मीडिया तथा मूल्यांकन और (ग) संस्थान, वक्फ, समन्वय एवं योजना से जुड़े स्कंध के कार्य देखते हैं। उनके कार्यों में सात निदेशक/उप-सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या 98 है।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. योजनागत कार्यक्रम

(i) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से कक्षा X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना की शुरुआत दिनांक 01.04.2008 से की गई जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XII और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन नवम्बर, 2007 से राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है।

(iii) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना:

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है।

(iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट—सह—साधन आधारित छात्रवृत्ति :

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना की शुरूआत जून, 2007 में हुई थी जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता—अनुदान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर—लाभ अर्जक सोसाइटी है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठान की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में '750 करोड़) के रूप में सहायता—अनुदान पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रतिष्ठान की आय का मुख्य स्रोत है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए सहायता अनुदान की योजना और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की योजना।

(vi) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में बहु—क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और सापेक्ष रूप में पिछड़ेपन के आधार पर वर्ष 2007 में किया गया था। बहु—क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक जिलों में सामाजिक—आर्थिक स्थिति और आधारभूत सुविधाओं की

उपलब्धता में अपर्याप्त विकास के अंतर को कम करना है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में जिले के स्थान पर इकाई के रूप में ब्लॉक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों तथा अल्पसंख्यक बहुल ग्राम समूहों जैसे अन्य जरूरत मंद क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। परिणामस्पर्श, वर्ष 2012–13 की तीन नई योजनाएं, नामतः (i) 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन की योजना (ii) एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों हेतु ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तर के संस्थान हेतु सहायता को बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आमेलित कर दिया गया है, जिसे पुनर्संरचना की जा रही है। 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल नामक योजना को भी इस कार्यक्रम के साथ आमेलित किया जा रहा है।

(vii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इकिवटी अंशदान :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य अपनी सावधि ऋण और लघु-वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूँजी उपलब्ध करायी जाती है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूँजी `1500 करोड़ है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का उद्देश्य महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन भी करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

(viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है और उनको अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता—अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत, 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

ix) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व—क्षमता विकास की योजना

इस योजना का लक्ष्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग—अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन—सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें।

x) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

इस योजना का कार्यान्वयन वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना—विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है। देश में वक्फ संपत्तियों का एक केंद्रीयकृत डाटाबेस बनाया जा रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ सम्पत्तियों का अपवर्तन और अतिक्रमण रुके, वर्तमान योजना में जीपीएस युक्त भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

xi) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों के शोध छात्रों को दी जाएगी। अध्येतावृत्ति का 30% शोध छात्राओं के लिए निर्धारित है।

xii) प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन:

इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सूचना और डाटा—बेस सृजित करना, आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से अर्याप्त विकास के बारे में सूचना एकत्र करना, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की

समर्वती निगरानी करना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु वार्षिक मीडिया योजना बनाना और मल्टी-मीडिया अभियान चलाना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15—सूत्रीय कार्यक्रम का व्यापक रूप में प्रचार-प्रसार करना और बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों के आयोजन में सहायता देना है।

xiii) राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में यह योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में अधिकांश राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार होने से वे वक्फ सम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे और संसाधन सृजित करने में सहायता मिलेगी। ये संसाधन मुस्लिम समुदाय के कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध होंगे। यह योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निरूपित, मूल्यांकित और कार्यान्वित की जाएगी।

xiv) अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता

विदेशों में उच्चा शिक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के माध्यम से वित्तीय सहातया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना तैयार की जा रही है और कार्यान्वयन के पहले इस योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाएगा।

xv) लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना

लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी जनगणना आबादी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1941 में 114000 थी, जो घट कर वर्ष 2001 में 69000 रह गयी। लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी तथा आबादी में गिरावट के रुझान को नियन्त्रित करने के लिए सरकार का इस समुदाय को सहायता देने का प्रस्ताव है। यह योजना तैयार की जा रही है और कार्यान्वयन के पहले इस योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाएगा।

xvi) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता :

अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक

परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त उल्लिखित सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम है। इस योजना में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि इसका लाभ सक्षम अभ्यर्थियों को मिले। यह योजना पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है।

xvii) कौशल विकास संबंधी पहलें :

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत दक्षता प्रदान करके अल्पसंख्यकों में रोजगार और जीविकोपार्जन दक्षता सृजन में वृद्धि करना है। इस स्कीम में बहु-प्रतियोगी तथा निर्गमन, शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यन्त अध्ययन अवसरों से युक्त कुशल जनशक्ति विकसित करने की योजना है। इस स्कीम में विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों (स्थापन, दक्षता निर्माण और उन्नयन) तथा मौजूदा अवसंरचना को इष्टतम उपयोग की परिकल्पना है ताकि प्रशिक्षण पर लागत कम आये।

xviii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधानः यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख. गैर-योजनागत स्कीमें

(i) शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना के तहत वक्फों को सहायता—अनुदान

रिक्त वक्फ भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाने तथा कल्याणकारी क्रियाकलापों में विस्तार देकर आय सृजन हेतु इस भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन से विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974–75 से किया जा रहा है, जिसके लिए परिषद को केन्द्र सरकार से वार्षिक आधार पर सहायता अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत देश भर में विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भवनों को संरक्षण में लेने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को आसान किश्तों में किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त धनराशि से परिषद के परिक्रामी निधि का सृजन होता है, जिसे लघु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु पुनः उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1974 से दिसम्बर, 2012 तक कुल `39.58 करोड़ राशि का सहायता—अनुदान जारी किया गया है।

(ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता—अनुदान

वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में केन्द्रीय वक्फ परिषद (वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 के तहत गठित) को प्रशासनिक व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिषद को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना अभी कार्यान्वित की जानी है।

ग. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15—सूत्रीय कार्यक्रम:

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15—सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना; (ख) वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) साम्राज्यिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों का यथासंभव 15% भाग अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में यथापरिकल्पित निर्धारण योग्य मानी गई योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों में से 15% का निर्धारण अधिकांश योजनाओं के संदर्भ में कर लिया गया है।

अध्याय-II

योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि

वर्ष 2013-14 के लिए '3511 करोड़ का योजनागत बजटीय प्रावधान है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान (ii) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (iii) प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (iv) एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान (v) एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान (vi) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (vii) राज्य वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (viii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना (ix) विदेशों में अध्ययनरत छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता (x) लघु अल्पसंख्यक समुदायों की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना (xi) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (xii) कौशल विकास संबंधी पहलें और (xiii) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता हेतु '491 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति और (iv) अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए '3020 करोड़ प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2012-13 के गैर-योजनागत बजटीय प्रावधान में दो योजनाओं के लिए (वक्फों को सहायता-अनुदान की योजना के लिए '3.18 करोड़ और केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता-अनुदान के लिए '0.03 करोड़) अर्थात् '3.21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण, वास्तविक उपलब्धियां, वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित परिणाम और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाएं गए हैं :-

परिणामी बजट 2013-14

(करोड़ ' में)

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ ' में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन					
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)									
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान	अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज	-	160.00	-	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि के लिए '160	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा अवसंरचनात्मक विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 150 शैक्षिक	वर्ष 2013-14 के दौरान	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		गैर—योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन					
	अर्जन हेतु प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु।					करोड़ जारी किया जाना।	संस्थानों को सहायता प्रदान की जा सकेंगी तथा 20000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकेंगी। अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों की शैक्षिक अवसंरचना के साथ—साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा।		दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी।
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता।	—	25.00	—	6000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता	7500 छात्रों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु कोचिंग दी जाएगी।	वर्ष 2013–14 के दौरान	—

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
3	प्रचार सहित विकास कार्यक्रमों के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना।	—	45.00	—	समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार-प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और समर्वती निगरानी कार्य किया जाना।	वर्ष 2013–14 के दौरान	-
4	एनएमडीएफसी को इकिवटी अंशदान	अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु एनएमडीएफसी को सक्षम बनाने के लिए इसकी इकिवटी में अंशदान।	—	120.00	—	इकिवटी अंशदान के रूप में 120.00 करोड़ रूपए	वर्ष 2013-14 के दौरान 82408 लाभार्थियों को शामिल किया जाना है।	इकिवटी वर्ष 2013-14 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है— 1. यदि इकिवटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 2. यदि राज्य सरकारी गारंटी नहीं देते हैं।

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन					
5	एनएमडीएफसी की योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइंजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान	राज्य चैनेलाइंजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	2.00	-	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाइंजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए।	राज्य चैनेलाइंजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2013–14 के दौरान	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है— 1. यदि राज्य चैनेलाइंजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं। 2. यदि राज्यों से उनके हिस्से की 10% राशि प्राप्त नहीं होती है।
6.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम० फिल और पी०एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए।	-	90.00	-	756 नई अध्येतावृत्तियां और नवीनीकरण	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
7.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	3.00	-	30 राज्य शेष वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है।	वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्डों की आय में वृद्धि होगी जिसे समुदाय के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	
8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने तथा सेवाओं और अवसरों तक उनकी पहुंच हेतु उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	15.00	-	40000 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए।	अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और अपने स्थानीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/संस्थानों की पहचान और उनका सत्यापन।
9.	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।	-	2.00	-	अभी निर्धारण किया जाना है	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।	वर्ष 2013–14 के दौरान	चूंकि इस योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। अतः इसे वर्ष 2013–14 से कार्यान्वित किया जाएगा।

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना।	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसी की घटती आबादी को नियन्त्रित करना।	—	2.00	—	अभी निर्धारण किया जाना है	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसी की घटती आबादी को नियन्त्रित किया जाएगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	चूंकि इस योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। अतः इसे वर्ष 2013–14 से कार्यान्वित किया जाएगा।
11.	राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	राज्य वक्फ बोर्ड को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनको सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।	—	7.00	—	इसमें 15 वक्फ बोर्ड कवर किये जाएंगे	निर्धारण मुस्लिमों के कल्याणकारी कार्यों के लिए वक्फ संपत्तियों से अतिरिक्त निधियों का अत्याधिक सृजन और राज्य वक्फ बोर्ड का उन्नत कार्यकरण।	वर्ष 2013–14 के दौरान	चूंकि इस योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। अतः इसे वर्ष 2013–14 से कार्यान्वित किया जाएगा।
12.	कौशल विकास संबंधी पहलें	रोजगार और जीविको पार्जन में वृद्धि करने के लिए कौशल और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।	—	17.00	—	अभी निर्धारण किया जाना है	अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत-दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर मिले, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों।	वर्ष 2013–14 के दौरान	— तदैव —

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन					
13.	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	—	3.00	—	अभी निर्धारण किया जाना है	सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाना।	वर्ष 2013–14 के दौरान	चूंकि इस योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। अतः इसे वर्ष 2013–14 से कार्यान्वयित किया जाएगा।
14.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	270.00	-	90000 छात्रवृत्तियां	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)									

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ' में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियाँ/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर—योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
15.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित माता—पिताओं को उनके स्कूल जाने वाले छात्रों पर पड़ने वाले उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए तथा उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।	-	950.00	-	80 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
16.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	उच्चतर शिक्षा हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति में वृद्धि करना और उनकी रोजगारपरकता बढ़ाना।	-	550.00 (सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए `1.50 करोड़ शामिल)	-	10 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14 (करोड़ ` में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन					
17.	झु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक दशाओं में अपर्याप्त विकास को कम करना।	-	1250.00	-	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) / नगरों आदि के परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार करना और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां निर्मुक्त करना।	सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश आदि की स्थिति में सुधार लाना।	वर्ष 2013–14 के दौरान	लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा योजना प्रस्तावों को भेजे जाने तथा स्वीकृत कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने पर निर्भर है।
18.	वकफों को सहायता—अनुदान	शहरी वकफ परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता	3.18	—	—	अधिक आय सृजन के लिए वकफ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया जाना।	निर्धन मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वकफ परिसंपत्तियों से अतिरिक्त धनराशि सृजित होगी।	वर्ष 2013–14 के दौरान	
19.	केन्द्रीय वकफ परिषद को सहायता—अनुदान	केन्द्रीय वकफ परिषद को वित्तीय सहायता	0.03	—	—	केन्द्रीय वकफ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	केन्द्रीय वकफ परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।	वर्ष 2013–14 के दौरान	
			3.21	3511.00	-				

अध्याय—III

नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 5 समुदायों को अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशेषकर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

(i) **अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15—सूत्रीय कार्यक्रम:** अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, (ख) वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(ii) **शिक्षा :** इस मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार पर बल दिया है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि और नई योजनाएं शुरू करने के उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति। इन योजनाओं के साथ-साथ 'निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना' के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान द्वारा छात्रावासों तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण

और विस्तार की योजना और अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा में दो वर्ष के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के उद्देश्य और अनुमानित परिणाम अध्याय-II में दिये गये हैं।

(iii) रोजगार के अवसर :

(क) रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यनि-पादन में सुधार लाने की दृष्टि से इसकी पुनर्संरचना की अनुसंशा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नियुक्ति परामर्शी फर्म ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और जुलाई, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्टेक होल्डरों के परामर्शन में रिपोर्ट की जांच की गई और मार्च, 2012 में एक अन्य उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति ने अगस्त, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्शन किए जा रहे हैं।

(ख) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना : इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ बालिकाओं के लिए निर्धारित है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण वर्ष 2007 में सामाजिक-आर्थिक तथा आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर किया गया था। एमएसडीपी का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले चिह्नित पिछड़े जिलों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपर्याप्त विकास को दूर करना और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना है। एमएसडीपी एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और यह वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के उद्देश्य से जिले के स्थान पर ब्लॉक को योजना की इकाई के रूप में बनाए जाने और अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों तथा अल्पसंख्यक बहुल ग्राम समूहों जैसे अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2012–13 की तीन नई योजनाएं नामतः (i) 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा के संवर्धन हेतु शिक्षा (ii) एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता को बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आमेलित कर दिया गया है, जिसकी पुनर्संरचना की जा रही है। 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल नामक योजना को भी इस कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।

(v) महिला सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें। वस्तुतः, महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह गरीबी में कमी लाने, आर्थिक वृद्धि करने और सिविल सोसाइटी को सुदृढ़ करने हेतु लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

(vi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण की योजना से वक्फ बोर्डों के कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्ड अपने और कप पर निगरानी रख सकेंगे, परिसंपत्ति संबंधी सूचनाओं और आकड़ों को अद्यतन रख सकेंगे, अतिक्रमण रोक सकेंगे, वक्फ परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर नजर रख सकेंगे, कानूनी वादों को समय से लड़ सकेंगे और रिकार्डों के रख–रखाव और प्रबंधन कार्य को कारगर बना सकेंगे। कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालय के परामर्शन में विकसित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2012 तक 28 राज्य वक्फ बोर्डों को '13.01 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है।

सुधार कार्य/सुधार के उपाय

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी);

- i) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एनएमडीएफसी और भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

- ii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तथा एनएमडीएफसी की इकिवटी में किये जाने वाले अंशदान को जारी करने के लिए राज्य सरकारों से सक्रिय रूप में संपर्क किया जाता है। वार्षिक योजनाओं और अनंतिम योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों का सम्मेलन किया जाता है।
- iii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्य निष्पादन और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने संबंधी एक योजना शुरू की गई थी।
- iv) व्यावसायिक बैंकरों और वित्तीय विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एनएमडीएफसी को पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है। एक परामर्शी फर्म की नियुक्ति की गई थी, जिसने जुलाई, 2011 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। पण्धारियों के परामर्श से इस रिपोर्ट की जांच की गई थी और मार्च, 2012 में एक अन्य उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति ने अगस्त, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर इस समय इस मामले पर अंतरमंत्रालयीन परामर्शन किया जा रहा है।

(II) मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान (एमएईएफ) :

- i) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान प्रति-ठान की संवित निधि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और वृद्धि किये जाने की परिकल्पना है।
- ii) संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान तथा छात्राओं को छात्रवृत्तियां दिए जाने संबंधी संभी महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध होगी।
- iii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के संसाधनों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार बराबर-बराबर आंवटित किया गया है, ताकि उन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बराबर-बराबर संवितरित किया जा सके।
- iv) मूल्यांकन-सह-परिसंपत्ति सत्यापन संबंधी अध्ययन किया गया।

(III) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी हेतु बहु-चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार है :-

- क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में संबंधित दिशा-निर्देशों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।
- ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टें जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।
- ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।
- घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती हैं।
- ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए विस्तृत बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली होती है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की निगरानी जिला समितियों, राज्यों और केन्द्रीय स्तरों से की जाती है।
- च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं।
- छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु-क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट <http://www.minorityaffairs.gov.in> से जोड़ा गया है।
- ज) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वित ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। तदनुसार, ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली वर्ष 2012–13 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए भी विस्तारित की गई है।

अध्याय—IV

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2011–12 का विवरण

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	(करोड़ ' में)	
					वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलانا आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता—अनुदान	2011-12	200.00	200	150 गैर—सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 20,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	169 गैर—सरकारी संगठनों को '22.58 करोड़ का ऋण स्वीकृत तथा 17,700 छात्रवृत्तियां संवितरित।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2011-12	115.00	115.00	गैर—सरकारी संगठनों/राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 78,000 लाभार्थियों को '220 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर—सरकारी संगठनों/राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 1,05,874 लाभार्थियों को '271.37 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान	2011-12	2.00	1.35	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान जारी किया जाना।	
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2011-12	16.00	15.98	6000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	47 संस्थानों के माध्यम से 7880 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गयी।

(करोड़ ' में)						
क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2011-12	36.00	24.48	मंत्रालय की योजनाओं / कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान / अध्ययन कराना।	मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा मानीटरिंग की गई। एनआईईएसबीयूडी द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। 1197 समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित कराए गए। आकाशवाणी द्वारा श्रव्य-दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए और पूर्वोत्तर सहित सम्पूर्ण भारत के 1794 थिएटरों में डिजिटल सिनेमा के माध्यम से दिखाए गए। सूरज कुंड मेला में बाह्य प्रचार भी किया गया। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को अल्पसंख्यकों से संबंधित 6 डॉक्युमेंट्री फ़िल्में बनाने का कार्य सौंपा गया।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2011-12	140.00	115.67	55,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	42,476 प्रदान किए गए (नए: 19,505 और नवीकरण: 22,971) छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 15,640)

(करोड़ ' में)						
क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2011-12	600.00	614.91	27 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	55.29 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 28.20 लाख छात्रवृत्तियां)
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2011-12	450.00	362.91	5.25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	7.02 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 3.76 लाख छात्रवृत्तियां)
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2011-12	1218.40	779.91	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित योजनाओं अनुमोदित जिला को किया जाना।	वर्ष 2008–09 में योजना का कार्यान्वयन शुरू होने के समय से अल्पसंख्यक बहुल कुल 70 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः तथा 20 जिला योजनाओं को आंशिक स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत मदों में इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2011-12	52.00	51.98	756 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 755 नई अध्येतावृत्तियां दी गई तथा 1511 नवीनीकरण किया गया।
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2011-12	5.00 (संशोधित अनुमान 2.00)	0.62	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।	6 राज्य वक्फ बोर्डों को 0.62 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

(करोड़ में)						
क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व—क्षमता विकास की योजना	2011-12	15.00	0.00	32950 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	यह योजना मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान पुनः बनाई गयी थी। कार्यान्वयन प्रक्रिया को दिसम्बर, 2011 तक अंतिम रूप दिया गया। यह योजना वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वयन के लिए निर्धारित थी, किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि दिसम्बर, 2011 के अंतिम सप्ताह में 5 राज्यों में विधान सभा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। ऐसा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निष्पक्षता हेतु किया गया था।
13.	सचिवालय	2011-12	0.60	0.60	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
14.	वक्फ को सहायता—अनुदान (गैर—योजनागत)	2011-12	1.19	2.04	अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके।	8 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत।
15.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता—अनुदान (गैर—योजनागत)	2011-12	0.01	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ संरचना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वर्ष 2012–13 का विवरण (31 दिसम्बर, 2012 तक)

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2012 तक)	वास्तविक लक्ष्य	(करोड़ ` में)
						वास्तविक उपलब्धि 31 दिसम्बर, 2012 तक
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता—अनुदान	2012-13	100.00	0.00	150 गैर—सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 20,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	वितरण प्रक्रियाधीन
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2012-13	100.00	99.64	गैर—सरकारी संगठनों/राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 82,408 लाभार्थियों को `220 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	दिसम्बर, 31.12.2012 तक गैर—सरकारी संगठनों/राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 50,737 लाभार्थियों को `185.25 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान	2012-13	2.00	0.00	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान जारी किया जाना।	अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2012-13	20.00	7.82	6000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	3,826 छात्रों को कोचिंग के लिए निधि जारी की गई।

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2012 तक)	वास्तविक लक्ष्य	(करोड़ ' में)
						वास्तविक उपलब्धि 31 दिसम्बर, 2012 तक
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2012-13	40.00	23.60	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	इन विषयों नामतः अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण, बहु-संस्कृति वाद और कानून; अल्पसंख्यक अधिकारों की समझ, परामर्श और कानून; तथा धर्म निरपेक्ष-वाद, अल्पसंख्यक अधिकार पर क्रमशः अमेठी, अलीगढ़, देहरादून और हैदराबाद में चार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। 1154 समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित कराए गए। आकाशवाणी तथा निजी एफएम चैनलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में श्रव्य-दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 61 थियटरों सहित सम्पूर्ण भारत के 4475 थिएटरों में डिजिटल सिनेमा के माध्यम से दिखाए गए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अल्पसंख्यकों से संबंधित 6 डॉक्युमेंट्री फिल्में पूरी की। मदर टेरेसा और सूफी संस्कृति के बारे में डॉक्युमेंट्री फिल्में दूरदर्शन पर प्रसारित की गई। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू आदि में नए पम्फलेट मुद्रित कराए गए।

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2012 तक)	वास्तविक लक्ष्य	(करोड़ ' में)
						वास्तविक उपलब्धि 31 दिसम्बर, 2012 तक
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2012-13	220.00	111.35	80,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	42,957 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (नए: 40,310 और नवीकरण: 2647) (छात्राओं के लिए 11,881)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2012-13	900.00	592.53	75 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	52.1 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 27 लाख छात्रवृत्तियां) प्रदान की गई।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2012-13	500.00	175.76	9.50 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	3.03 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 1.80 लाख छात्रवृत्तियां)
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2012-13	999.00	504.94	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना।	31.12.2012 तक 876 करोड़ ₹0 की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2012-13	70.00	66.00	756 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की गयी।
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2012-13	5.00	0.70	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।	राज्य वक्फ बोर्डों को '0.70 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2012 तक)	वास्तविक लक्ष्य	(करोड़ ' में)
						वास्तविक उपलब्धि 31 दिसम्बर, 2012 तक
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना	2012-13	15.00	10.45	40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	36950 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 राज्यों के 64 संगठनों को निधियां जारी की गई।
13.	अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	2012-13	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	चूंकि योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, अतः इसे वर्ष 2013-14 से कार्यान्वित किया जाएगा।
14.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2012-13	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	- तदैव -
15	राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	2012-13	5.00	0.00	15 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना।	- तदैव -
16	कौशल विकास पहल	2012-13	20.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	- तदैव -
17	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	2012-13	4.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	- तदैव -
18	100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	2012-13	50.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	इसे क्रमांक 9 पर बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।
19	एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों हेतु ग्राम विकास कार्यक्रम	2012-13	50.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	- तदैव -

(करोड़ ' में)

क्रम सं०	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2012 तक)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि 31 दिसम्बर, 2012 तक
20	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थान को सहायता।	2012-13	25.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	— तदैव —
21	9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल	2012-13	5.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	— तदैव —
22.	सचिवालय	2012-13	1.00	0.44	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
23.	वक्फ को सहायता—अनुदान (गैर—योजनागत)	2012-13	3.20	2.88	अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत। दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।
24.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता—अनुदान (गैर—योजनागत)	2012-13	0.03	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ संरचना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वित्तीय समीक्षा

अध्याय-V

अध्याय-V (क)

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2012–13 हेतु बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष 2013–14 का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ' में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल
	राजस्व खंड										
1	सचिवालय	2251	1.00	8.12	9.12	1.00	7.908	8.908	1.50	9.60	11.10
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	0.00	6.36	6.36	0.00	5.849	5.849	-	-	-
		2225	-	-	-	-	-	-	0.00	5.63	5.63
3	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	0.00	1.99	1.99	0.00	1.59	1.59			
		2225	-	-	-	-	-	-	0.00	1.54	1.54
4	वकफ को सहायता—अनुदान	2235	0.00	3.20	3.20	0.00	2.88	2.88	0.00	3.18	3.18
5	केन्द्रीय वकफ परिषद को सहायता—अनुदान	2235	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता—अनुदान	2225	100.00	0.00	100.00	0.01	0.00	0.01	160.00	0.00	160.00
7	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	2225	17.98	0.00	17.98	13.00	0.00	13.00	22.50	0.00	22.50
		3601	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		3602	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2552	2.00	0.00	2.00	1.40	0.00	1.40	2.50	0.00	2.50
			20.00	0.00	20.00	14.42	0.00	14.42	25.00	0.00	25.00

(करोड़ ' में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल
8	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2225 (प्रचार)	32.70	0.00	32.70	31.00	0.00	31.00	39.50	0.00	39.50
	व्यावसायिक सेवाएं	2225	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00	5.20	0.00	5.20
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30
		योग	40.00	0.00	40.00	33.30	0.00	33.30	45.00	0.00	45.00
9	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान	2225	1.80	0.00	1.80	0.60	0.00	0.60	1.80	0.00	1.80
		2552	0.20	0.00	0.20	0.06	0.00	0.06	0.20	0.00	0.20
		योग	2.00	0.00	2.00	0.66	0.00	0.66	2.00	0.00	2.00
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	63.00	0.00	63.00	59.40	0.00	59.40	81.00	0.00	81.00
		2552	7.00	0.00	7.00	6.60	0.00	6.60	9.00	0.00	9.00
		योग	70.00	0.00	70.00	66.00	0.00	66.00	90.00	0.00	90.00

(करोड़ ' में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर—योजनागत	कुल	योजनागत	गैर—योजनागत	कुल	योजनागत	गैर—योजनागत	कुल
11	राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2235	4.50	0.00	4.50	1.49	0.00	1.49	2.70	0.00	2.70
		2552	0.50	0.00	0.50	0.16	0.00	0.16	0.30	0.00	0.30
		योग	5.00	0.00	5.00	1.65	0.00	1.65	3.00	0.00	3.00
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व—क्षमता विकास की योजना	2235	13.50	0.00	13.50	11.50	0.00	11.50	13.50	0.00	13.50
		2552	1.50	0.00	1.50	1.30	0.00	1.30	1.50	0.00	1.50
		योग	15.00	0.00	15.00	12.80	0.00	12.80	15.00	0.00	15.00
13	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में छूट	2235	1.80	0.00	1.80	0.01	0.00	0.01	1.80	0.00	1.80
		2552	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	0.20	0.00	0.20
		योग	2.00	0.00	2.00	0.02	0.00	0.02	2.00	0.00	2.00
14	अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	2.00	0.00	2.00	0.01	0.00	0.01	2.00	0.00	2.00
15	राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	2225	0.20	0.00	0.20	0.02	0.00	0.02	0.20	0.00	0.20
		2235	0.05	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.10	0.00	0.10
		3601	4.15	0.00	4.15	0.02	0.00	0.02	5.80	0.00	5.80
		3602	0.10	0.00	0.10	0.02	0.00	0.02	0.20	0.00	0.20
		2552	0.50	0.00	0.50	0.02	0.00	0.02	0.70	0.00	0.70
		योग	5.00	0.00	5.00	0.10	0.00	0.10	7.00	0.00	7.00

(करोड़ ' में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल
16	कौशल विकास पहल	2225	2.80	0.00	2.80	0.01	0.00	0.01	0.21	0.00	0.21
		2235	15.00	0.00	15.00	0.01	0.00	0.01	14.79	0.00	14.79
		3601	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		3602	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2552	2.00	0.00	2.00	0.01	0.00	0.01	2.00	0.00	2.00
		योग	20.00	0.00	20.00	0.05	0.00	0.05	17.00	0.00	17.00
17	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	2225	3.50	0.00	3.50	0.01	0.00	0.01	2.70	0.00	2.70
		2552	0.50	0.00	0.50	0.01	0.00	0.01	0.30	0.00	0.30
		योग	4.00	0.00	4.00	0.02	0.00	0.02	3.00	0.00	3.00
18	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति।	2225	0.50	0.00	0.50	0.27	0.00	0.27	1.00	0.00	1.00
		3601	195.00	0.00	195.00	168.00	0.00	168.00	239.00	0.00	239.00
		3602	2.50	0.00	2.50	1.80	0.00	1.80	3.00	0.00	3.00
		2552	22.00	0.00	22.00	14.00	0.00	14.00	27.00	0.00	27.00
		योग	220.00	0.00	220.00	184.07	0.00	184.07	270.00	0.00	270.00
19	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	8.82	0.00	8.82	5.4230	0.00	5.4230	11.60	0.00	11.60
		3601	864.08	0.00	864.08	571.9995	0.00	571.9995	1086.25	0.00	1086.25
		3602	15.00	0.00	15.00	2.1375	0.00	2.1375	12.15	0.00	12.15
		2552	111.10	0.00	111.10	70.00	0.00	70.00	140.00	0.00	140.00
		योग	999.00	0.00	999.00	649.56	0.00	649.56	1250.00	0.00	1250.00

(करोड़ ' में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल	योजनागत	गैर— योजनागत	कुल
20	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	2225	3.00	0.00	3.00	1.64	0.00	1.64	3.00	0.00	3.00
		3601	800.00	0.00	800.00	716.83	0.00	716.83	847.00	0.00	847.00
		3602	7.00	0.00	7.00	2.31	0.00	2.31	5.00	0.00	5.00
		2552	90.00	0.00	90.00	75.00	0.00	75.00	95.00	0.00	95.00
		योग	900.00	0.00	900.00	795.78	0.00	795.78	950.00	0.00	950.00
21	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	2225	2.00	0.00	2.00	0.75	0.00	0.75	2.50	0.00	2.50
		3601	444.00	0.00	444.00	306.00	0.00	306.00	487.50	0.00	487.50
		3602	4.00	0.00	4.00	1.50	0.00	1.50	3.50	0.00	3.50
		2552	50.00	0.00	50.00	32.50	0.00	32.50	55.00	0.00	55.00
		योग	500.00	0.00	500.00	340.75	0.00	340.75	548.50	0.00	548.50
22*	251 नगरों/शहरों में से अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	2225	2.00	0.00	2.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3601	42.50	0.00	42.50	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3602	0.50	0.00	0.50	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		2552	5.00	0.00	5.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		योग	50.00	0.00	50.00	0.04	0.00	0.04	-	-	-

(करोड़ ' में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2012-13)			संशोधित अनुमान (2012-13)			बजट अनुमान (2013-14)		
			योजनागत	गैर—योजनागत	कुल	योजनागत	गैर—योजनागत	कुल	योजनागत	गैर—योजनागत	कुल
23*	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2225	2.00	0.00	2.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3601	42.80	0.00	42.80	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3602	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		2552	5.00	0.00	5.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		योग	50.00	0.00	50.00	0.04	0.00	0.04	-	-	-
24*	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	2225	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3601	22.00	0.00	22.00	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3602	0.30	0.00	0.30	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		2552	2.50	0.00	2.50	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		योग	25.00	0.00	25.00	0.04	0.00	0.04	-	-	-
25*	नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	2225	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3601	4.20	0.00	4.20	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		3602	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		2552	0.50	0.00	0.50	0.01	0.00	0.01	-	-	-
		योग	5.00	0.00	5.00	0.04	0.00	0.04	-	-	-
	योग (राजस्व खंड)		3035.00	19.70	3054.70	2100.36	18.26	2118.62	3391.00	19.98	3410.98
	पूंजीगत खंड										
26	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	4225	90.00	0.00	90.00	89.64	0.00	89.64	108.00	0.00	108.00
		4552	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00	12.00
			100.00	0.00	100.00	99.64	0.00	99.64	120.00	0.00	120.00
	योग (पूंजीगत खंड)		100.00	0.00	100.00	99.64	0.00	99.64	120.00	0.00	100.00
	कुल योग= (राजस्व + पूंजीगत) खंड		3135.00	19.70	3154.70	2200.00	18.26	2218.26	3511.00	19.98	3530.98

*इन योजनाओं को अल्पसंख्यकों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अध्याय V(ख)

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2012–13 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ' में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूँजीगत)	परिव्यय (2009–10)	वास्तविक व्यय (2009–10)	परिव्यय (2010–11)	वास्तविक व्यय (2010–11)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13) (31.12.2012 तक)
गैर–योजनागत									
1	सचिवालय–सामाजिक सेवा	7.24	6.30	6.60	6.28	7.16	6.19	8.12	5.73
2	अन्य सामाजिक सेवाएं								
i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	5.28	4.49	5.26	4.50	5.65	4.67	6.36	3.32
ii)	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.98	1.74	2.00	1.33	1.99	1.47	1.99	0.99
3	i) वकफ को सहायता–अनुदान	1.98	1.50	1.50	0.00	1.19	2.04	3.20	2.88
	ii) केन्द्रीय वकफ परिषद को सहायता–अनुदान	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
	iii) राज्य वकफ बोर्ड को सहायता–अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग =	16.50	14.03	15.37	12.11	16.00	14.37	19.70	12.92

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूँजीगत)	परिव्यय (2009–10)	वास्तविक व्यय (2009–10)	परिव्यय (2010–11)	वास्तविक व्यय (2010–11)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13) (31.12.2012 तक)
योजनागत के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)								(करोड़ ' में)	
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता—अनुदान	115.00	115.00	125.00	125.00	200.00	200.00	100.00	0.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	12.00	11.22	15.00	14.37	16.00	15.98	20.00	7.82
3	एनएमडीएफसी की इविटी में अंशदान	125.00	125.00	115.00	115.00	115.00	115.00	100.00	99.64
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	13.00	11.97	22.00	19.63	36.00	24.48	40.00	23.60
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता—अनुदान	2.00	2.00	4.00	3.83	2.00	1.35	2.00	0.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	8.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.45
7	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	15.00	14.90	30.00	29.98	52.00	51.98	70.00	66.00
8	राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	10.00	8.06	13.00	3.63	5.00	0.62	5.00	0.70
9	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना*	-	-	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00

क्रम सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2009–10)	वास्तविक व्यय (2009–10)	परिव्यय (2010–11)	वास्तविक व्यय (2010–11)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13) (31.12.2012 तक)
(करोड़ ' में)									
10	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	-	-	1.00	0.00	-	-	-	-
11	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	-	-	1.00	0.00	-	-	2.00	0.00
12	कौशल विकास पहल	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
13	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
14	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
उप-योग - (सीएस)=		300.00	288.15	343.00	311.44	441.00	409.41	385.00	208.21
ख	केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)								
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	100.00	97.42	135.00	108.67	140.00	115.67	220.00	115.67
2	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	989.50	971.94	1399.50	913.23	1218.40	779.91	999.00	504.94
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	200.00	202.74	450.00	446.22	600.00	614.91	900.00	592.53
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	150.00	148.67	265.00	228.86	450.00	362.91	500.00	175.76

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2009–10)	वास्तविक व्यय (2009–10)	परिव्यय (2010–11)	वास्तविक व्यय (2010–11)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13) (31.12.2012 तक)
									(करोड़ ' में)
5*	अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	-	-	-	-	-	-	50.00	0.00
6*	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	50.00	0.00
7*	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	-	-	-	-	-	-	25.00	0.00
8*	नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
9	सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा	0.50	0.49	0.50	0.44	0.60	0.60	1.00	0.44
10	राज्य वकफ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण *	-	-	7.00	-	0.00	-	5.00	0.00
	उप—योग (सीएसएस)=	1440.00	1421.26	2257.00	1697.42	2409.00	1874.00	2750.00	1385.01
	कुल योग (क + ख)=	1740.00	1709.41	2600.00	2008.86	2850.00	2283.41	3135.00	1593.22

*इन योजनाओं को अल्पसंख्यकों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमलित कर दिया गया है।

अध्याय—V (ग)

वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण नीचे दिया गया हैः—

2007–08

(करोड़ ' में)

	बजट अनुमान 2007–08	संशोधित अनुमान 2007–08	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	500.00	350.00	196.65	39.33	56.19
राजस्व	430.00	280.00	126.65	29.45	45.23
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
राजस्व	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
पूंजीगत	—		—		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	512.83	362.83	208.38	40.63	57.43
राजस्व	442.83	292.83	138.38	31.24	47.26
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00

वर्ष 2008–09

(करोड़ ' में)

	बजट अनुमान 2008–09	संशोधित अनुमान 2008–09	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	1000.00	650.00	619.02	61.90	95.23
राजस्व	925.00	575.00	544.02	58.81	94.61
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
राजस्व	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1013.83	664.38	629.56	62.10	94.76
राजस्व	938.83	589.38	554.56	59.07	94.09
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00

2009–10

(करोड़ 'में)

	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	1740	1740	1709.41	98.24	98.24
राजस्व	1615	1615	1584.41	98.11	98.11
पूंजीगत	125	125	125.00	100	100
गैर-योजनागत में से	16.50	15.50	14.03	85.03	90.52
राजस्व	16.50	15.50	14.03	85.03	90.52
पूंजीगत	-	-			
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1756.50	1755.50	1723.44	98.12	98.17
राजस्व	1631.50	1630.50	1598.44	97.97	98.03
पूंजीगत	125.00	125.00	125.00	100	100

2010–11

(करोड़ 'में)

	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	2600	2500	2008.86	77.26	80.35
राजस्व	2485	2385	1893.86	76.21	79.41
पूंजीगत	115	115	115.00	100	100
गैर-योजनागत में से	15.37	14.50	12.11	78.79	83.52
राजस्व	15.37	14.50	12.11	78.79	83.52
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	2615.37	2514.50	2020.97	77.27	80.37
राजस्व	2500.37	2399.50	1905.97	76.23	79.43
पूंजीगत	115.00	115.00	115.00	100.00	100.00

2011–12

(करोड़ 'में)

	बजट अनुमान 2011-12	संशोधित अनुमान 2011-12	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	2850	2750	2283.41	80.12	83.03
राजस्व	2735	2635	2168.41	79.28	82.29
पूंजीगत	115	115	115.00	100	100
गैर-योजनागत में से	16.00	16.46	14.37	89.81	87.30
राजस्व	16.00	16.46	14.37	89.81	87.30
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	2866.00	2766.46	2297.78	80.17	83.03
राजस्व	2751.00	2651.46	2182.78	78.34	82.32
पूंजीगत	115.00	115.00	115.00	100.00	100.00

2012–13

(करोड़ 'में)

	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012-13	वास्तविक व्यय 31.12.2012 तक	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	3135	2200	1593.23	50.82	72.42
राजस्व	3035	2100.36	1493.59	49.21	71.11
पूंजीगत	100	99.64	99.64	99.64	100
गैर-योजनागत में से	19.70	18.26	12.92	65.58	70.76
राजस्व	19.70	18.26	12.92	65.58	70.76
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	3154.70	2218.26	1606.15	50.91	72.41
राजस्व	3054.70	2118.62	1506.51	49.32	71.11
पूंजीगत	100.00	99.64	99.64	99.64	100

अध्याय—V (घ)

राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.4.2012 और 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोग प्रमाण—पत्र की स्थिति

01.4.2012 को लम्बित उपयोग प्रमाण—पत्रों की संख्या	01.4.2012 को लम्बित उपयोग प्रमाण—पत्रों की राशि	01.4.2012 के अनुसार शेष बची राशि	31.12.2012 को लम्बित उपयोग प्रमाण—पत्रों की संख्या	31.12.2012 को लम्बित उपयोग प्रमाण—पत्रों की राशि	31.12.2012 के अनुसार शेष बची राशि
584	`775.02 करोड़	`2796.63 करोड़	411	`703.77 करोड़	`2579.11 करोड़

अध्याय—VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इन संगठनों की जवाबदेही निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है:

(1) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):** एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा—25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्व—रोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:**

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर—लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देता है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं— स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैर—सरकारी संगठनों को सहायता—अनुदान शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना। सुचारू कार्य सुनिश्चित करने, जवाबदेहता और पारदर्शिता में वृद्धि लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- i) तिमाही समीक्षा की जा रही है।
- ii) प्रतिष्ठान के विभिन्न पदों के लिए प्रतिष्ठान के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देकर और उन्हें अधिसूचित करके संगठनात्मक अवसंरचना को मजबूत किया गया है। बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में केन्द्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

- iii) प्रतिष्ठान को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सके। बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान संबंधी सभी सूचनाएं प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं।
- iv) प्रतिष्ठान की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित एक मूल्यांकन एवं परिसंपत्ति सत्यापन अध्ययन वर्ष 2009–10 में भारतीय सामाजिक संस्थान द्वारा कराया गया था। एजेंसी ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसा की थी कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाए, महत्वपूर्ण आकड़ों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए तथा धनराशि को समुचित रूप से उपयोग में लाया जाए। इन अनुशंसाओं के आधार पर प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की गयी है, इसके प्रमुख क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा निरीक्षण प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है।
- v) प्रतिष्ठान की योजना और कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठान के संसाधनों का संवितरण राज्य-वार ढंग से किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 से पहले मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते थे। वर्ष 2008–09 से लक्ष्य निर्धारण का यह कार्य प्रतिष्ठान द्वारा शुरू कर दिया गया है।
